न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**
वाद पत्र संख्या :— **21/2023**

उनवान

1 भैरू पुत्र गोमा जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2. गोदाराम पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 16.3.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 716/2512 रकबा 0.65 है0, 736/2411 रकबा 0.85 है0, कुल किता 2 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 21/ 12 दिनांक 15.6.2021 की पालना में दिनांक 24.6.2021 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 24.6.2021 के बाद से पडौसी अप्रार्थीगण ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिकमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.6.2021 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 24.6.2021 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि कि ख.नं. 716/2512 रकबा 0.65 है0, 736/2411 रकबा 0.85 है0, कुल किता 2 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.6.2021 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला) जयपुर